

(1)

सिविल अपील क्रमांक: 05 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 05 / 14

संस्थापन दिनांक 27.10.2010

फाइलिंग नं-230303000812010

1. बस्सनसिंह पुत्र करनैलसिंह आयु 52 साल
जाति सिख निवासी ग्राम प्रेमसिंह का पुरा
मजरा रायतपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

.....अपीलार्थी / वादी

बनाम

1. हरप्रीतसिंह आयु 32 साल
2. नवप्रीतसिंह आयु 36 साल
पुत्रगण सेवासिंह जाति सिख निवासी
ग्राम रायतपुरा परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0
3. म0प्र0 राज्य शासन द्वारा :-
श्रीमान कलैक्टर महोदय,
जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी / वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क.-1, 2 द्वारा श्री एन0पी0 कांकर अधिवक्ता
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क.-3 एकपक्षीय।

न्यायालय-श्री सुशीलकुमार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद, जिला
भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-09ए/2010 ई.दी. में पारित
निर्णय दिनांक 30.09.2010 से उत्पन्न सिविल अपील।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 16 मार्च 2015 को घोषित किया गया)

1. वादी/अपीलार्थी वस्सनसिंह की ओर से उक्त प्रथम सिविल
अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1 गोहद श्री सुशीलकुमार द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक
09ए/2010 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 30.09.10 से व्यथित

होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के वाद को निरस्त किया है ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि स्वर्णसिंह के स्वत्व व आधिपत्य की थी।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि ग्राम रायतपुरा परगना गोहद में स्थित वादपत्र के कलम नंबर-1 में वर्णित भूमि सर्वे क्रमांक-466 सहित कुल 34 सर्वे नंबरों का कुल रकवा 9.97 है० है। तथा भूमि सर्वे क्रमांक-289 रकवा 0.85 है०, 290 रकवा मिन 0.33 है०, 291 रकवा 0.33 है०, 292 रकवा 0.36 है०, 298 रकवा 0.13 है०, 330 मिन रकवा 0.40 है० का कुल रकवा 9 बीघा 16 विस्वा है। इसमें से आधा हिस्सा यानि 4 बीघा 18 विस्वा, सर्वे नंबर-467 एवं अन्य 33 सर्वे नंबरों का कुल रकवा 9.97 है०, के भाग 222/997 जिसका रकवा 11 बीघा 2 विस्वा होता है, में आधा हिस्सा यानि 5 बीघा 11 विस्वा वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का है। इस भूमि का ही प्रकरण में विवाद है। उक्त विवादित भूमि के स्वर्णसिंह भी स्वामी थे और उनकी मृत्यु के बाद खाता नंबर-741 कुल रकवा 9.97 भाग 222/997 का रकवा 11 बीघा 2 विस्वा तथा दूसरे खाते का रकवा 9 बीघा 16 विस्वा था। स्वर्णसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों पर उसकी दोनों पत्नियों कर्मकौर एवं सुरेन्द्र कौर उर्फ छिद्दो के नाम से नामांतरण हुआ था। 11 बीघा 2 विस्वा में कर्मकौर का आधा हिस्सा व दूसरे खाता 9 बीघा 16 विस्वा में आधे हिस्से की कर्मकौर पत्नी स्वर्णसिंह भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे। उसी हैसियत से उसका विधिवत नामांतरण हुआ था। नामांतरण के बाद से कर्मकौर भूमिस्वामी के रूप में आधिपत्यधारी होकर खेती करती रही। कर्मकौर द्वारा उक्त विवादित भूमि दिनांक 14.09.07 को विधिवत वसीयतनामा निष्पादित किया गया था तथा उस वसीयत के आधार पर वादी मृतक कर्मकौर का वारिस होकर कब्जे में है और खेती कर रहा है किन्तु प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 व 2 के द्वारा विवादित भूमि पर गलत रूप से इन्द्राज करा लिया है जिसकी जानकारी वादी को नकल लेने पर दिनांक 25.08.09 को हुई जिससे वादी के स्वत्वों को आघात हुआ है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल करना चाहते हैं। तथा उन्होंने दिनांक 01.09.09 को जबरन बेदखल करने की धौंस दी। अतः वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश कर यह व्यक्त किया गया है कि स्वर्णसिंह की मृत्यु के बाद उसके भूमिस्वामित्व व आधिपत्य की भूमि उसकी एक मात्र पत्नी श्रीमती सुरेन्द्र कौर उर्फ छिद्दो को विरासत में प्राप्त हुई। कर्मकौर स्वर्णसिंह की पत्नी नहीं थी न ही उसे वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने का अधिकार था। कर्मकौर का नाम

गलत रूप से नामांतरण होने से एस0डी0ओ0 के यहाँ अपील की गई थी जिसमें कर्मकौर ने यह स्वीकार किया था कि वह स्वर्णसिंह की पत्नी नहीं है और उसके नाम का नामांतरण गलत हुआ है। उसे निरस्त कर दिया जावे। अतः कर्मकौर स्वर्णसिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं है। विवादित भूमि पर कभी भी कर्मकौर का कब्जा नहीं रहा है न ही उसकी कभी खेती हुई। कर्मकौर को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। न ही उसने दिनांक 14.09.07 को वादी/अपीलार्थी के हक में कोई वसीयत की है बल्कि वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र0-1 व 2 का कब्जा है तथा उनके कब्जे के अनुसार ही इन्द्राज है जिसकी जानकारी वादी को इन्द्राज होने के दिनांक से ही है। तथा वादी ने दिनांक 25.08.09 को इन्द्राज की जानकारी होना गलत बताया है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को सुरेन्द्र कौर से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और वर्तमान में उन्हीं का कब्जा है इसलिये वादी को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तथा उन्होंने दिनांक 01.09.09 को वादी को कोई धौंस नहीं दी है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण ने अपने विशेष कथनों में यह भी बताया है कि वादी की नीयत शुरू से ही श्रीमती सुरेन्द्र कौर की भूमि हड़पने की रही है। इसी आशय से वस्सनसिंह ने अपने पुत्र मलकीतसिंह के नाम से एक अनुबंध पत्र मनोहरसिंह, जसवीरसिंह, पालसिंह व देवेन्द्रसिंह के साथ देवी बाई से दिनांक 23.05.2001 को फर्जी एवं कूटरचित बनवाया था जिस पर साक्षी के रूप में वादी ने हस्ताक्षर किये थे। तथा उसी अनुबंध पत्र के आधार पर वादी के पुत्र मलकीतसिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक दीवानी वाद अपर जिला जज गोहद के न्यायालय में पेश किया जो कि प्र0क्र0-13/05 पर संचालित होकर खारिज हुआ। अनुबंध पत्र की कूटरचना कर देवीबाई को सुरेन्द्र कौर की पुत्री बताकर उसके हक में मुख्तारआम दिनांक 29.12.2000 को होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार वादी वस्सनसिंह शुरू से ही उक्त विवादित भूमि को सुरेन्द्र कौर की मान रहा है। ऐसे में वादी का वाद अवधि बाधित है। साथ ही यह भी व्यक्त किया है कि वादी ने कर्मकौर से साजिश कर उसका नामांतरण तहसील में करा लिया जो तहसील में निरस्त हो गया है। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 02.04.05 को पृथक पृथक विक्रय पत्रों के माध्यम से सुरेन्द्र कौर से विधिवत जमीन को खरीदकर कब्जा लिया है और उनका नामांतरण भी हो चुका है। जिसकी जानकारी वादी को यथा समय से ही है अतः उसे आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने वादी के वाद को सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रकरण में प्रति.क्र.-3 की ओर से कोई प्रतिवाद पत्र पेश नहीं किया गया है, क्योंकि वह एक पक्षीय रहा है ।

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 30.09.10 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य न पाते हुये निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि वादी/अपीलार्थी की साक्ष्य से यह भली भांति प्रमाणित है कि मृतक कर्मकौर करनैलसिंह की पत्नी थी और तहसीलदार द्वारा दोनों पत्नियों का विधिवत नामांतरण किया गया। किन्तु राजस्व अभिलेख में कर्मकौर का इन्द्राज इसलिये नहीं हो पाया क्योंकि वह अनपढ़ महिला थी। लेकिन राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। जब कर्मकौर करनैलसिंह की पत्नी थी तो उसकी जायदाद में उसका हक था। मात्र इन्द्राज से किसी के हक समाप्त नहीं होते हैं। अपीलार्थी/वादी वस्सनसिंह की ओर से स्वयं अपना कथन, मनोहरसिंह, हरदेवसिंह, तथा वसीयतनामा के साक्षी राजकुमार शर्मा एवं मुकेश कुमार के कथन कराये हैं कि कर्मकौर द्वारा विधिवत वसीयत की है। अतः वसीयतनामा विधिवत प्रमाणित है। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय पत्र के द्वारा भूमि खरीदी होना बताई गई है लेकिन विक्रय पत्रों को किसी भी साक्षी से सिद्ध नहीं किया गया है तथा साक्षी नवप्रीतसिंह ने अपने कथन के पैरा-5 में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर उसके भाई खेती करते हैं इसलिये उसे जानकारी नहीं है कि कितने खेत हैं और रिस्पॉन्डेन्ट ने अपने भाई का कथन नहीं कराया है न किसी का साक्ष्य कराया है। तथा प्रतिवादी साक्षी ने अपने कथन के पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि तहसीलदार के प्र०क्र०-94-95 अ-6 आदेश दिनांक 04.05.95 से स्वर्णसिंह की दो पत्नियाँ हैं और दोनों का नामांतरण का आदेश हुआ है। जिससे यह भली भांति प्रमाणित है कि करनैलसिंह की दो पत्नी थीं, उनका नामांतरण हुआ। फिर भी साक्ष्य का सही विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया।
7. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने अपने जवाब दावा में यह कहा है कि उसने यह भूमि विक्रय पत्र से क्रय की है लेकिन विक्रय पत्रों को किसी साक्षी से प्रमाणित नहीं कराया है। तथा कब्जे बाबत प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। तथा यह भी स्वीकार किया है कि वह दस साल से नौकरी करता है तथा उसने खेत नहीं देखे। न ही खेती की है। उसने अपने कथनों में यह भी कहा है कि दोनों पति पत्नी जब तक जीवित रहे तब तक खेती करते रहे। और कर्मकौर की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपीलार्थी का कब्जा बर्ताव रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओरसे प्रस्तुत साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया है बल्कि अनुमान के आधार पर साक्ष्य का विवेचन कर गलत रूप से निष्कर्ष निकाले हैं। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.10 को अपास्त किया जावे।
8. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-09ए/10इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद स्वीकार किए जाने योग्य है?

-:- निष्कर्ष के आधार -:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 :-

9. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
10. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष पर मनन किया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्कों पर भी चिन्तन, मनन किया गया। वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अंतिम तर्कों में मुख्य रूप से अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों पर बल देते हुए यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि के मूल स्वामी स्व० स्वर्णसिंह थे जिनकी दो पत्नियाँ श्रीमती कर्मकौर और श्रीमती सुरेन्द्र कौर थीं। स्वर्णसिंह की मृत्यु होने पर उन दोनों का स्वर्णसिंह की भूमि पर नामांतरण हुआ था। कर्मकौर ने देवीबाई को गोद लिया था जिसकी शादी के बाद वह अपने पति के साथ निवासरत है। और वादी/अपीलार्थी श्रीमती कर्मकौर के जेठ का पुत्र है जिसे उसने गोद लिया था और जीवन के अंतिम पड़ाव में उसकी सेवा सुषुर्षा से प्रसन्न होकर अपनी संपत्ति की वसीयत दिनांक 14.09.07 को की गई थी। श्रीमती कर्मकौर नामांतरण के बाद भूमिस्वामी बनी थी और काबिज होकर खेती करती रही। विवादित भूमि पर श्रीमती सुरेन्द्र कौर का कोई हक अधिकार नहीं था और उसने बिना किसी अधिकार के अवैध नामांतरण कराकर प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण को भूमि विक्रय कर दी जिनका गलत तरीके से अपने नाम इन्द्राज करा लिया और जब दिनांक 25.08.09 को प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण ने वादी के स्वत्व से इन्कार कर उसे बेदखल करने की धमकी दिनांक 01.09.09 को दी तब राजस्व अभिलेखों की नकलें ली तब जानकारी हुई जिस पर से वाद करना पड़ा। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के हक में श्रीमती कर्मकौर द्वारा निष्पादित की गई वसीयतनामा को अमान्य कर वाद निरस्त करने में वास्तविक तथ्यों एवं साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया और गलत निष्कर्ष निकाले जिसकी वजह से अपील करना आवश्यक हुई है।

और मौके पर वास्तव में वादी/अपीलार्थी का ही कब्जा कास्त है जो उसकी साक्ष्य से सिद्ध हुआ है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की साक्ष्य में उसका कोई खण्डन नहीं हुआ है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद डिक्री किया जाये।

11. इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि श्रीमती कर्मकौर नामक कोई महिला स्वर्णसिंह की पत्नी नहीं रही बल्कि स्वर्णसिंह की पत्नी श्रीमती सुरेन्द्र कौर थी। और उसको ही उत्तराधिकार में स्वत्व प्राप्त हुआ था। श्रीमती कर्मकौर ने गलत नामांतरण करा लिया है जिसकी जानकारी लगने पर उसकी एस0डी0ओ0 को अपील की गई थी और अपील में कर्मकौर का नामांतरण निरस्त हुआ था। तथा श्रीमती सुरेन्द्र कौर के द्वारा विधिवत प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण को प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 के विक्रय पत्रों द्वारा स-प्रतिफल भूमि विक्रय की गई और कब्जा सौंपा गया। उनका विधिवत नामांतरण हुआ है और उनका ही कब्जा कास्त है। वादी/अपीलार्थी को न तो कोई स्वत्व है न आधिपत्य है न ही उसने कभी कोई खेती की है। और वसीयतनामा का श्रीमती कर्मकौर को कोई अधिकार ही नहीं था तथा वसीयतनामा साक्ष्य से भी खण्डित हुआ है। तथा स्व0 स्वर्णसिंह के द्वारा दो पत्नियाँ नहीं रखी गईं न ही विधिक रूप से वह दो पत्नियाँ रख सकता था। इसलिये वादी/अपीलार्थी का वाद असत्य व निराधार तथ्यों पर आधारित था जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त किया है। पूर्व में भी वादी/अपीलार्थी वस्सनसिंह के पुत्र मलकीतसिंह के द्वारा एक अन्य अनुबंध पत्र दिनांक 23-05-01 के आधार पर सिविल वाद क्रमांक-13ए/05 दायर किया गया था जो कि खारिज हो चुका है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष विधिसम्मत व साक्ष्य पर आधारित हैं। वादी/अपीलार्थी का वाद काल्पनिक है और अपील भी काल्पनिक आधारों पर पेश की गई है जो सव्यय निरस्त की जावे।

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि मूल वाद खाता क्रमांक-54 रकवा 9.97 है0 में हिस्सा 222/997 जिसका रकवा 11 बीघा 02 विस्वा होता है। उसके 1/2 भाग की भूमि अर्थात् रकवा 05 बीघा 11 विस्वा एवं दूसरा खाता क्रमांक-741 रकवा 09 बीघा 16 विस्वा के 1/2 भाग अर्थात् 04 बीघा 18 विस्वा की भूमि को प्रकरण में विवादग्रस्त बताया गया है। मूल वाद के आधारों मुताबिक उक्त हिस्से की भूमि श्रीमती कर्मकौर को स्वर्णसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में श्रीमती सुरेन्द्र कौर के साथ मिलना बताया है। तथा यह आधार लिया है कि स्वर्णसिंह की मृत्यु होने पर उसकी दोनों पत्नियों को बराबर बराबर भूमि मिली थी और नामांतरण हुआ था। और श्रीमती कर्मकौर ने अपने हिस्से की भूमि वादी/अपीलार्थी को दिनांक 14.09.07 के वसीयतनामा के द्वारा दी है और कर्मकौर की मृत्यु दिनांक 24.09.08 को हुई है जिसके बाद से वसीयतनामा प्रभावी हो गया है। तथा मूल वाद में प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 के विक्रय पत्र दिनांकित 02.04.05 को भी चुनौती दी गई है और उन्हें अधिकारविहीन

बताया है। सभी आधारों का प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन किया गया है।

13. अभिलेख पर वादी/अपीलार्थी की ओर से पांच साक्षी मौखिक साक्ष्य में पेश किये गये हैं जिनमें स्वयं वस्सन वा0सा0-1 के अलावा, मनोहरसिंह वा0सा0-2 व हरदेवसिंह वा0सा0-3 स्वत्व व आधिपत्य के साक्षीगण हैं। मुकेश नामदेव वा0सा0-4 और राजकुमार शर्मा वा0सा0-5 वसीयतनामा दिनांक 14.09.07 के अनुप्रमाणक साक्षी हैं जिन्हें परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-7 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से खण्डन में स्वयं नवप्रीतसिंह प्र0सा0-1 का अभिसाक्ष्य कराते हुए मूल विक्रय पत्र प्र0डी0-1 व 2 एवं पूर्व में मलकीत सिंह द्वारा किये गये सिविल वाद क्रमांक-13ए/05 में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पर हुए आदेश दिनांक 15.09.05 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। इस तरह से उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई हैं। और विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। हालांकि सिविल मामले के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं की सामर्थ्य से प्रमाणित करना होता है और वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की किसी भी प्रकार की कमजोरी का लाभ नहीं ले जा सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **दूल्हेसिंह विरुद्ध जुझारू सिंह 1995 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-170** में प्रतिपादित किया गया है। इसलिये इस प्रकरण में भी वादी/अपीलार्थी द्वारा जो आधार लिये गये हैं, उनको प्रमाणित करने में विधिक रूप से भार वादी/अपीलार्थी पर ही है। और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में उठाया गया बिन्दु कोई महत्व नहीं रखता है कि प्रतिवादी की ओर से केवल एक ही साक्षी को परीक्षित कराया गया है क्योंकि यदि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से कोई साक्षी पेश न भी कराया जाये तब भी आधारों को प्रमाणित करने का भार वादी पर ही रहता है। और विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय संख्या कोई महत्व नहीं रखती है बल्कि गुणवत्ता देखी जाती है।

14. प्रकरण में सर्वप्रथम तो यह बिन्दु उत्पन्न होता है कि स्वर्णसिंह की दो पत्नियाँ थीं जिनमें श्रीमती सुरेन्द्र कौर के अलावा श्रीमती कर्मकौर भी उसकी पत्नी रही थी या नहीं। इस संबंध में अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी0-04 के रूप में वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया था। और प्र0पी0-5 के रूप में देवीबाई का अपर तहसीलदार गोहद वृत्त एण्डोरी में स्वर्णसिंह के फोट होने पर दत्तक पुत्री के आधार पर नामांतरण का आदेश है जो पेश हुआ है। मौखिक साक्ष्य में वस्सनसिंह वा0सा0-1 ने इस संबंध में यह बताया कि विवादित भूमि जो वाद पत्र में दिये गये विवरण के दोनों खातों की है जिसमें एक खाते में 05 बीघा 11 विस्वा हिस्सा, दूसरे खाते में 04 बीघा 18 विस्वा

भूमि है उसकी श्रीमती कर्मकौर भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थी और काबिज कास्त थी। जो स्वर्णसिंह की पत्नी थी। स्वर्णसिंह की मृत्यु के बाद उसका नामांतरण हुआ था। और वसीयतनामा दिनांकित 14.09.07 प्र0पी0-3 के आधार पर श्रीमती कर्मकौर का वारिस होकर उसके हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उसने नामांतरण अवैधानिक बताया है जिसके अनुसार ही मनोहरसिंह वा0सा0-2 और हरदेवसिंह वा0सा0-3 ने अभिसाक्ष्य दिया है। तथा वसीयतनामा का समर्थन करते हुए मुकेश नामदेव वा0सा0-4 एवं राजकुमार शर्मा वा0सा0-5 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में समर्थन किया है।

15. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से नवप्रीतसिंह प्र0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि स्वर्णसिंह की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र पत्नी श्रीमती सुरेन्द्र कौर उर्फ छिद्दी थी जिसे उत्तराधिकार में भूमि मिली थी। श्रीमती कर्मकौर स्वर्णसिंह की पत्नी नहीं थी और उसे स्वर्णसिंह की भूमि उत्तराधिकार में पाने का कोई अधिकार नहीं था। कर्मकौर ने अपना गलत नामांतरण करा लिया था जिसकी अपील हुई थी और अपील में कर्मकौर ने इस बात को स्वीकार किया था कि वह स्वर्णसिंह की पत्नी नहीं है और उसके नाम का नामांतरण गलत हुआ है जो निरस्त कर दिया जावे। और कर्मकौर का कभी भी विवादित भूमि पर न तो स्वत्व रहा न ही आधिपत्य रहा। न कभी उसने खेती की बल्कि प्रतिवादीगण ने श्रीमती सुरेन्द्र कौर से विधिवत दिनांक 02.04.05 को पंजीकृत विक्रय पत्रों के द्वारा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। दस्तावेजी साक्ष्य में दोनों विक्रय पत्र प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 भी पेश किये गये हैं।

16. प्रकरण में इस बिन्दु पर विवाद की स्थिति नहीं है कि विवादित संपत्ति सहित जिन बिन्दुओं का उल्लेख मूल वाद में किया गया, उसके मूल स्वामी स्वर्णसिंह थे। और स्वर्णसिंह की श्रीमती सुरेन्द्र कौर नामक महिला पत्नी होना तो वादी भी मानता है किन्तु वादी उसके अलावा श्रीमती कर्मकौर को भी स्वर्णसिंह की पत्नी बताता है अर्थात् स्वर्णसिंह की दो पत्नियाँ बताकर वह आया है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई सुदृढ प्रमाण नहीं है कि विवादित संपत्ति के मूल स्वामी स्वर्णसिंह की श्रीमती कर्मकौर नामक कोई महिला पत्नी रही हो। तर्कों में एवं साक्ष्य में जो स्थिति प्रकट की गई है उससे स्व0 स्वर्णसिंह सिख समुदाय से थे और हिन्दू धर्म के अंतर्गत बौद्ध, जैन सहित सभी हिन्दू आते हैं। तथा हिन्दू धर्मावलंबी को दो पत्नी रखने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी महिला पत्नी नहीं हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति से किसी पर महिला से किसी प्रकार के कोई संबंध होते भी हैं तो ऐसे संबंध अवैध कहलाते हैं। ऐसे में दो पत्नियों का आधार विधि विरुद्ध है। और वादी/अपीलार्थी के अभिवचनों में ऐसा भी सुदृढ रूप से नहीं कहा गया है कि श्रीमती कर्मकौर नामक महिला उसकी प्रथम या वैध पत्नी थी। प्र0पी0-4 के मृत्यु प्रमाण पत्र में अवश्य श्रीमती कर्मकौर के पिता/पति के रूप में स्वर्णसिंह का नाम अंकित है

किन्तु उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र से ऐसी उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि विवादित संपत्ति के मूल स्वामी रहे स्व० स्वर्णसिंह वही स्वर्णसिंह हैं जिसका प्र०पी०-4 में उल्लेख है। क्योंकि विवादित संपत्ति ग्राम रायतपुरा तहसील गोहद में स्थित है। स्वर्णसिंह को भी वहीं का निवासी बताया गया है। और मृत्यु प्रमाण पत्र मुताबिक श्रीमती कर्मकौर की मृत्यु वार्ड नंबर-4 गुना (मध्यप्रदेश) में हुई। इसलिये मृत्यु प्रमाण पत्र से केवल इस बात की पुष्टि होती है कि श्रीमती कर्मकौर की मृत्यु दिनांक 24.09.08 को हुई थी और कोई तथ्य इससे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

17. अभिलेख पर ऐसी कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है जो मूल स्वामी स्वर्णसिंह की पत्नी कर्मकौर होने को बल प्रदान करता हो। इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि श्रीमती सुरेन्द्र कौर का मृत्यु कब हुई और क्या सुरेन्द्र कौर की मृत्यु के बाद श्रीमती कर्मकौर पत्नी बनी या पहले से थी? यदि पहले से हो तब तो श्रीमती कर्मकौर पत्नी के रूप में मान्य ही नहीं हो सकती है। हालांकि इस प्रकरण में मौखिक साक्ष्य के अलावा इस बिन्दु पर कोई भी प्रमाण नहीं हैं।
18. दूसरी ओर यदि देवी बाई जिसे कर्मकौर के द्वारा अभिवचनों मुताबिक गोद लेना बताया गया है, उसके संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। केवल प्र०पी०-3 के वसीयतनामे के चरण क्रमांक-2 में यह उल्लेखित किया गया है कि कर्मकौर की कोई संतान नहीं है। उसने देवीबाई पत्नी चरनसिंह निवासी चक शेरपुर को गोद लिया था जो दत्तक पुत्री होकर विवाहित होने से अपने पति के साथ रहती है और उसकी सेवा सुषुर्षा जेठ का लडका वस्सन कर रहा है। इसलिये हक में वह संपत्ति की वसीयत कर रही है। अर्थात् देवीबाई को श्रीमती कर्मकौर की दत्तक पुत्री प्रकट किया गया है। जबकि प्र०पी०-5 अपर तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के दिनांक 15.10.08 के आदेश का अवलोकन किया जाये तो उसके मुताबिक देवीबाई को स्वर्णसिंह की पुत्री बताया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि **आवेदिका देवीबाई पुत्री स्वर्णसिंह पत्नी करमसिंह जाति सिख निवासी रायतपुरा द्वारा सुखविन्दर पत्नी स्वर्णसिंह जाति सिख निवासी रायतपुरा के फोट होने पर दत्तक पुत्री होने के कारण मृतिका सुखविन्दर कौर पत्नी स्वर्णसिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक-650 रकवा 0.05 है० पर नामांतरण किया जाये।** उक्त विवरण से तो देवी बाई को सुखविन्दर कौर नामक महिला को दत्तक पुत्री बताया गया है। ऐसे में देवीबाई नामक महिला श्रीमती कर्मकौर की दत्तक पुत्री होने पर भी संदेह है जिससे वादी/अपीलार्थी के अभिवचनों का खण्डन होता है। और अभिवचनों एवं साक्ष्य में विरोधाभास की स्थिति है। और सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास हो तो वह विश्वसनीय नहीं होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गणेश विरूद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-दो एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 193** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

19. प्रकरण में मूल आधार में स्वर्णसिंह की मृत्यु होने पर श्रीमती कर्मकौर एवं श्रीमती सुरेन्द्र कौर का नामांतरण बार बार होना बताया है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई भी राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि मूल स्वामी स्वर्णसिंह की मृत्यु होने पर वारिसान के रूप में श्रीमती कर्मकौर व सुरेन्द्र कौर का समान रूप से नाम इन्द्राज हुआ हो। प्र०पी०-6 व 7 के रूप में वर्ष 2008-09 के जिस खसरा अभिलेख को पेश किया गया है, उसमें भी किसी भूमि पर कर्मकौर का इन्द्राज नहीं है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में दृष्टिपात किया है। ऐसे में स्वामित्व का मूल आधार कि श्रीमती कर्मकौर को पत्नी के रूप में स्वर्णसिंह के स्थान पर नामांतरण हुआ, उसका ही कोई प्रमाण नहीं है जिससे विवादित बताई गई भूमि पर श्रीमती कर्मकौर नामक महिला का कोई स्वत्व अधिकार होना ही प्रकट नहीं होता है। और इस बिन्दु पर केवल मौखिक साक्ष्य को महत्व नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकार को अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य पेश करनी चाहिए।
20. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से प्रकरण में वादी/अपीलार्थी को अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्राप्त होना भी प्रकट हुआ है। जिस फोती के नामांतरण को आधार बताया गया है वह प्रकरण में पेश ही नहीं किया गया है। इससे वादी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है कि श्रीमती कर्मकौर का मूल स्वामी स्वर्णसिंह के स्थान पर उसकी मृत्यु के बाद बतौर उत्तराधिकारी कोई नामांतरण किसी भी भूमि पर हुआ था। ऐसे में श्रीमती कर्मकौर स्वर्णसिंह की पत्नी होना कतई स्थापित व प्रमाणित नहीं है। और प्र०डी०-3 हालांकि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश है जो गुण दोषों पर प्रभाव नहीं रखता है किन्तु वादी/अपीलार्थी वस्सनसिंह का पुत्र मलकीतसिंह और इस प्रकरण का साक्षी रहा मनोहरसिंह भी पक्षकार था जिसमें श्रीमती सुरेन्द्रकौर, देवीबाई तथा वर्तमान प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया गया था। उसमें जो तथ्य प्रकट किये गये हैं उससे भी श्रीमती सुरेन्द्र कौर को स्वामी होने के बिन्दु पर बल प्राप्त होता है। ऐसे में श्रीमती कर्मकौर के स्वर्णसिंह की पत्नी होने का ही आधार प्रमाणित न होने से वादी/अपीलार्थी का वाद निर्बल हो जाता है क्योंकि यदि श्रीमती कर्मकौर को कोई हक अधिकार सृजित ही नहीं होगा तो उसे वसीयत करने का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा।
21. जहाँ तक वसीयतनामा प्र०पी०-3 का प्रश्न है, जिसके संबंध में वा०सा०-1 लगायत 5 के साक्षी वादी/अपीलार्थी का समर्थन कर मुख्य परीक्षण की साक्ष्य देते हैं और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नवप्रीतसिंह वसीयतनामे को फर्जी व कूट रचित होना अपनी साक्ष्य में बताता है। वसीयतनामा के संबंध में जो वैधानिक स्थिति है उसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा-63 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-68 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। प्र०पी०-3 का वसीयतनामा अपंजीकृत होकर नोटराईज्ड है। वसीयत के संबंध में यह वैधानिक स्थिति है कि वसीयतनामा ही स्वत्व के हस्तांतरण का एक ऐसा दस्तावेज होता है

जिसके पंजीयन की अनिवार्यता नहीं है किन्तु वसीयतनामा को उपर वर्णित धारा-63 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और धारा-68 साक्ष्य अधिनियम की कसौटी पर कसना होता है तब वह प्रमाणित हो सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **कुंअरसाई विरुद्ध वाल्याबाई 2007 भाग-1 एम0पी0जे0आर0 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पेज-23** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

22. प्र0पी0-3 का वसीयतनामा दिनांक 14.09.07 को निष्पादित होना बताया गया है जिसे सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता नोटरी के द्वारा के ड्राफ्ट एवं संपादित कराया जाना प्रकट किया गया है। अनुप्रमाणक साक्षी मुकेश नामदेव और राजकुमार शर्मा जो दोनों ही गुना के रहने वाले हैं, को बनाया गया है जो मुख्य परीक्षण में तो उसका समर्थन करते हैं किन्तु किसी भी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन करते मसय उसकी संपूर्ण अभिसाक्ष्य को विश्लेषित करना होता है तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। किन्तु वाक्य विशेष के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा के दोनों अनुप्रमाणक साक्षियों को विश्वसनीय नहीं माना है।

23. वा0सा0-1 वस्सनसिंह ने प्र0पी0-3 की वसीयत श्रीमती कर्मकौर द्वारा उचित रीति से निष्पादित करने की साक्ष्य दी है। वस्सनसिंह ग्राम रायतपुरा गोहद का निवासी है और वह यह स्वीकार करता है कि कर्मकौर बहुत सालों तक बीमार रही जिसे गुना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह गुना में उसकी सेवा सुषुर्षा के लिये रहा हो। ऐसी स्पष्ट और सुदृढ साक्ष्य नहीं है। वसीयत के संबंध में अनुप्रमाणक साक्षियों को देखा जाये तो मुकेश नामदेव वा0सा0-4 के द्वारा पैरा-3 में वसीयतनामा पर केवल हस्ताक्षर करना बताया गया है और कुछ नहीं लिखाया गया था। उसको श्रीमती कर्मकौर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे यह भी पता नहीं है कि वसीयत क्या होती है, किसने उसे टाईप कराया और वह वसीयतनामा के संबंध में कोई जानकारी होने से भी इन्कार करता है। राजकुमार वा0सा0-3 अपने परीक्षण के पैरा-4 मुताबिक यह बताता है कि उसे कलैक्ट्रेट में करमसिंह लिवाकर ले गये थे। वसीयतनामा किसने टाईप किया था, उसे पता नहीं है। पैरा-6 मुताबिक वसीयतनामा में भूमि के सर्वे नंबर किसने लिखवाये, यह भी उसे पता नहीं है। उसके पैरा-7 मुताबिक वह पूरी तरह से अज्ञानता जाहिर कर रहा है कि कर्मकौर के पास कितनी जमीन थी। वसीयतनामा के नोटरी करने वाले अभिभाषक को वह पाठक वकील साहब के रूप में बताता है। जबकि प्र0पी0-3 मुताबिक सतीश श्रीवास्तव नोटरी द्वारा उसका निष्पादन कराया गया है। ऐसे में वह भी विरोधाभाषी है। जैसाकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अभिलिखित किया है। ऐसे में वसीयतनामा के संबंध में वा0सा0-4 व 5 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है जो कि दोनों ही अति महत्व के साक्षी होकर अनुप्रमाणक साक्षी हैं और उपर वर्णित विधि प्रावधानों के मुताबिक एक अनुप्रमाणक साक्षी से समर्थन आवश्यक होता है जैसा कि सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है।

24. वादी वस्सनसिंह वा0सा0-1 की अभिसाक्ष्य को इस संबंध में देखा

जाये तो उसे भी पैरा-5 मुताबिक यह जानकारी नहीं है कि वसीयतनामा किस वकील साहब द्वारा लिखी गई। मनोहर वा0सा0-2 पैरा-3 में इस बात को गलत बताता है कि उसने और मलकीत ने प्र0क0-13ए/05 संचालित किया था। जबकि प्र0डी0-3 से वह स्पष्ट हो रहा है। मनोहरसिंह के द्वारा संचालित किये गये वाद के बारे में इन्कार करना उसकी विश्वसनीयता को खण्डित करता है। हरदेवसिंह वा0सा0-3 अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-3 व 4 के मुताबिक जो तथ्य प्रकट करता है उससे उसकी भी विश्वसनीयता खण्डित होती है क्योंकि उसके मुताबिक श्रीमती कर्मकौर मरने तक ग्राम रायतपुरा में रही जबकि स्वयं वस्सनसिंह के मुताबिक वह गुना में रही जबकि स्वयं वस्सनसिंह के मुताबिक वह गुना में रही। प्र0पी0-4 के मृत्यु प्रमाण पत्र मुताबिक गुना में ही मृत्यु हुई और वा0सा0-03 पैरा-4 में यहाँ तक कहता है कि वसीयतनामा उसके सामने कर्मकौर ने नहीं लिखाया। उसे भी वसीयतनामा के बारे में कुछ पता नहीं है कि किसके द्वारा लिखा गया।

25. इस प्रकार से प्र0पी0-3 के वसीयतनामा के संबंध में वादी सहित उसके सभी साक्षी मौखिक साक्ष्य में मुख्य परीक्षण के तथ्यों पर प्रतिपरीक्षा में स्थिर नहीं हैं और विरोधाभाषी हैं जिससे वसीयतनामा विधिक रूप से प्रमाणित नहीं होता है और उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित न मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। क्योंकि स्वयं वादी साक्ष्य से वसीयतनामा संदिग्ध हो जाता है तथा सर्वप्रथम तो कर्मकौर को कोई हक अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है ऐसे में वसीयतनामा की कोई विधि मान्यता नहीं रह जाती है। तथा प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 के विक्रय पत्र जो दिनांक 02.04.05 के होकर अर्थात् प्र0पी0-3 की जिस वसीयत का आधार लिया गया है उससे करीब दो साल से अधिक पहले ही प्रतिवादीगण द्वारा स्वर्णसिंह की उत्तराधिकारी और विधिक वारिस श्रीमती सुरेन्द्र कौर से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त करना जहाँ प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 से स्थापित होता है वहीं इस संबंध में नवप्रीतसिंह प्र0सा0-1 की साक्ष्य भी विश्वसनीय है।

26. नवप्रीतसिंह प्र0सा0-1 के मुताबिक वह सन् 1980 से ग्वालियर में रह रहा है लेकिन गांव आता जाता है। श्रीमती सुरेन्द्र कौर जिससे उसने भूमि खरीदी, गांव में उसके मकान के सामने ही रहती थी जिसका पति स्वर्णसिंह था। स्वर्णसिंह को उसने तीन भाई होना बताया है जिनमें करतारसिंह, करनैलसिंह भी थे लेकिन वे जीवित हैं या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। करतारसिंह और करनैलसिंह की कोई वारिस हैं या नहीं, यह भी उसे पता नहीं है। लेकिन उसने साफ तौर पर यह कहा है कि स्वर्णसिंह की दो पत्नियाँ नहीं थीं न ही स्वर्णसिंह की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति दो पत्नियों के नाम हुई। पैरा-4 में वह तहसीलदार के प्र0क0-94-95 अ-6 आदेश दिनांक 04.05.95 में दो पत्नियों का उल्लेख होना वह स्वीकार अवश्य करता है और वादी के संबंध में भी उसने यह स्वीकृत किया है कि वस्सनसिंह के पिता का नाम करनैलसिंह है जो प्रेमसिंह के पुरा का रहने वाला है और वस्सनसिंह उसके चाचा लगते हैं लेकिन आना-जाना नहीं है। उसके मुताबिक श्रीमती कर्मकौर

की कोई संतान नहीं थी। इस बात की उसे जानकारी नहीं है कि कर्मकौर ने देवी बाई को गोद लिया था या नहीं। और उसके मुताबिक सुरेन्द्र कौर उसे और उसके भाई हरप्रीत को वयनामा करने के तीन-चार साल बाद खतम हुई थी। तथा विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताता है। वादी/अपीलार्थी के अभिवचनों मुताबिक क्रेतागण अर्थात् प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी है। और उनका नामांतरण प्र0डी0-1 व प्र0डी0-2 के पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर होना प्रक्रिया के अनुरूप है जिसे अवैध नामांतरण नहीं माना जा सकता है। जैसा कि वादी/अपीलार्थी की ओर से आधार लिया गया है।

27. इस तरह से विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थी को किसी भी रूप में कोई हक अधिकार सृजित नहीं होता है। वसीयतनामा विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है और यह भी निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती कर्मकौर को कोई हक, अधिकार विवादित भूमि पर प्राप्त नहीं था। वादी/अपीलार्थी का मौके पर वास्तविक आधिपत्य में न होना भी किसी भी रूप से दर्शित नहीं है न ही उसका खेती करना प्रकट होता है। अर्थात् वादी अपने वाद आधारों में से कोई भी आधार प्रमाणित नहीं कर सका है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद पूर्णतः खारिज करने में कोई तथ्यात्मक या विधिपूर्ण भूल या त्रुटि नहीं की गई है और अपील में जो आधार लिये गये हैं, वे भी कतई प्रमाणित नहीं हैं। इसलिये वादी/अपीलार्थी की अपील सारहीन पाई जाती है। तथा यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी/अपीलार्थी किसी भी प्रकार की सहायता विवादित संपत्ति के संबंध में प्राप्त करने का पात्र नहीं है। फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील वाद विचार सारहीन मानते हुए सव्यय निरस्त की जाती है।

28. वादी/अपीलार्थी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का भी प्रकरण व्यय वहन करेगा। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक— 16.03.2015

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया एवं दिनांकित कर पारित किया गया ।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)